



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट - कोतवाली फतेहगढ़
दिनांक :-15.07.2024

थाना कोतवाली फतेहगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 238/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित नामजद /वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रदीप सिंह के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में फतेहगढ़ कोतवाली पुलिस टीम द्वारा कोतवाली फतेहगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 238/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित नामजद/वांछित अभियुक्त बृजेश उर्फ चिरकुट पुत्र अनंतराम निवासी नेकपुर कलां एसआर कोल्ड के पास कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ को चेकिंग के दौरान पुलिस लाइन नई बिल्डिंग तीन तालाब के पास से गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. बृजेश उर्फ चिरकुट पुत्र अनंतराम निवासी नेकपुर कलां एसआर कोल्ड के पास कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण:- अभियुक्त द्वारा वादी की मोटरसाइकिल नं0 HR 51 BG 1401 चोरी कर लेने के संबंध में वादी श्री विशनाथ उर्फ पन्चू पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी नेकपुर कलां एसआर कोल्ड के पास थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फर्रुखाबाद के प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 14.07.2024 को मु0अ0सं0 238/24 धारा 303(2) बीएनएस दिनांक बनाम बृजेश उर्फ चिरकुट पुत्र अनंतराम उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 श्री नर सिंह द्वारा ग्रहण कर संपादित की जा रही है। विवेचना के क्रम में दिनांक 15.07.2024 को अभियुक्त बृजेश उर्फ चिरकुट पुत्र अनंतराम निवासी नेकपुर कलां एसआर कोल्ड के पास कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फर्रुखाबाद को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त ने पूछताछ करने पर गलती की मांफी मांगते हुए अपनी सफाई मा0 न्यायालय में अपने वकील के माध्यम से देना बताया।

बरामदगी का विवरण:- एक अदद मोटर साइकिल नं0 HR51BG1401 बरामद।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त बृजेश उर्फ चिरकुट उपरोक्त:-

- 1-मु0अ0सं0 238/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली फतेहगढ़
- 2- मु0अ0सं0 1070/18 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना कोतवाली फर्रुखाबाद।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 नर सिंह
2. का0 कृष्णपाल सिंह
3. का0 पंकज यादव

मीडिया सेल फतेहगढ़।



